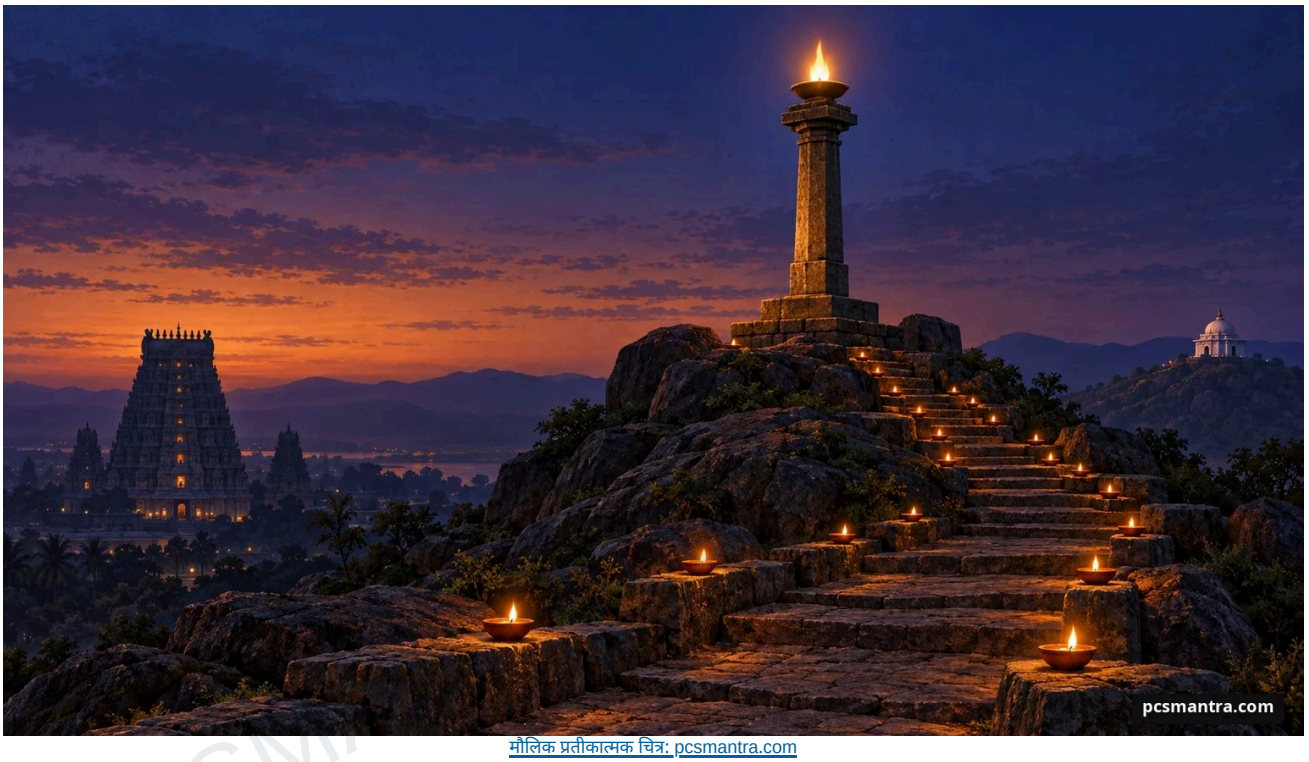
कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट का संतुलन



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

PCSM

▼ इस लेख में

1. 27–28 नवंबर अपडेट: अवमानना नोटिस और रिसीवर
2. खबरों में क्यों
3. पृष्ठभूमि: कार्तिगई दीपम परंपरा
4. विवाद कैसे बढ़ा
5. सुप्रीम कोर्ट का आदेश
6. 22 नवंबर: पुनर्विचार याचिका की खबर
7. परीक्षा की दृष्टि से
8. प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
9. स्रोत
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रकाशन: 22 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: 20 नवंबर 2026 का अंतरिम आदेश; 22 नवंबर की पुनर्विचार याचिका संबंधी रिपोर्टें। GS-1/GS-2: धार्मिक स्थल, न्यायिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश। प्रिलिम्स: प्रमुख मंदिर-विवाद और न्यायालयीन प्रक्रिया।

27–28 नवंबर अपडेट: अवमानना नोटिस और रिसीवर

24 नवंबर को क्या हुआ: 20 नवंबर के आदेश के बावजूद 24 नवंबर को दीपथून पर दीप नहीं जलाया गया; मंदिर ट्रस्टियों के प्रस्ताव के बाद दीप पारंपरिक दीपा मंडपम पर जलाया गया। जिला कलेक्टर की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कहा कि ट्रस्टियों ने दीप-प्रज्वलन टीम को अधिकृत करने से इनकार कर दिया था; न्यायालय ने इसे "घड़ियाली आँसू" कहा।

27 नवंबर का आदेश: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने प्रथमदृष्टया माना कि 20 नवंबर के आदेश का पालन न होना "जानबूझकर अवज्ञा" (wilful disobedience) है, जो राज्य और मंदिर ट्रस्टियों के बीच "पूर्व-नियोजित साज़िश" से हुई। पीठ ने मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को निलंबित किया और दो पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. वैद्यनाथन और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. पार्थिबन को रिसीवर नियुक्त किया।

मुख्य निर्देश:

- कार्तिगई दीपम 28 नवंबर 2026 को फिर जलाया जाए, इस बार पत्थर के स्तंभ (दीपथून) पर, जैसा 20 नवंबर को कहा गया था। रिसीवर मंदिर के स्तानिकर के परामर्श से समारोह कराएँगे।
- यह अंतरिम आदेश किसी पक्ष को भविष्य में कोई हक़ (equities) नहीं देता; आदेश का दायरा केवल अवमानना याचिकाओं तक है। मूल मामला, धार्मिक अधिकारों का विवाद, जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह सुना जाएगा।
- 28 नवंबर को आम लोग भी पहाड़ी पर दीप जला सकते हैं; सुरक्षा केंद्रीय बल देंगे। दरगाह के आसपास 50 मीटर का घेरा रहेगा, परंतु श्रद्धालुओं की पहुँच और अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
- तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मदुरै जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) आयुक्त व उपायुक्त, तथा मंदिर के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी और ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस; सभी को 15 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
- मुख्य सचिव को 10 दिन के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र देकर बताना होगा कि अनुच्छेद 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के संवैधानिक दायित्व में "स्पष्ट उपेक्षा" क्यों हुई; राज्य और जिला प्रशासन के संवाद (ईमेल, कॉल रिकॉर्ड) का विवरण भी देना होगा।

28 नवंबर, दोपहर 1:48 बजे तक की स्थिति: रिसीवर मंदिर पहुँच चुके हैं। नवीनतम रिपोर्ट में दीप-प्रज्वलन शाम लगभग पाँच बजे अपेक्षित था और केवल रिसीवर द्वारा चुने गए 20–25 लोगों को समारोह देखने देने की बात थी। इसे संपन्न समारोह न समझें; यह उस समय की तैयारी की स्थिति है।

आदेश की सीमा: यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है। प्रथा, स्वामित्व या दीप जलाने के स्थायी अधिकार का प्रश्न मूल सुनवाई में है; 20 नवंबर और 27 नवंबर दोनों आदेश अंतरिम हैं।

अपडेट के स्रोत

- thehindu.com: संबंधित स्रोत
- thehindu.com: संबंधित स्रोत
- thehindu.com: संबंधित स्रोत
- indianexpress.com: संबंधित स्रोत

खबरों में क्यों

तमिलनाडु के मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून, यानी पत्थर के दीप-स्तंभ, पर कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को सीमित अंतरिम व्यवस्था की। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 24 नवंबर 2026 को इस अवसर के लिए दीप जलाने की अनुमति दी। हस्ताक्षरित आदेश के पैरा 12 में मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के 6 जनवरी 2026 के निर्णय के पैरा 1-141 में दर्ज निष्कर्षों पर, जहाँ तक वे इन कार्यवाहियों में चुनौती के विषय हैं, अगले आदेश तक और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन रोक है। पूरे हाईकोर्ट निर्णय को रद्द नहीं किया गया है। यह अनुमति किसी कथित प्रथा या धार्मिक अधिकार की स्थापना नहीं करती। [1]

पृष्ठभूमि: कार्तिगई दीपम परंपरा

कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का दीप-पर्व है, जो तमिल माह कार्तिगई, लगभग नवंबर-दिसंबर, में मनाया जाता है। घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर दरगाह से जुड़ी है। दीपथून पर दीप जलाने की मांग विवादित है; सुप्रीम कोर्ट ने उस स्तंभ पर कोई प्रथागत अधिकार स्थापित नहीं किया है। [1][2][4]

विवाद कैसे बढ़ा

हाईकोर्ट के निर्णय में पहाड़ी पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीप मंडपम को प्रथागत स्थान बताया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने दीपथून पर दीप जलाने की मांग की। एकल न्यायाधीश के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 जनवरी 2026 को निर्णय दिया, जिसे तमिलनाडु के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इससे अलग, हाईकोर्ट में पहले हुई अवमानना-प्रवर्तन कार्यवाही के 4 दिसंबर 2025 के आदेश में सीआईएसएफ की सुरक्षा के निर्देश दर्ज हैं। उस पुराने प्रबंध को सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2026 के आदेश में दिए गए सीआरपीएफ के प्रावधान से न मिलाएँ। [1][2][3]

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2026 के दीप-प्रज्वलन की अनुमति अस्थायी और इसी अवसर तक सीमित व्यवस्था के रूप में दी है। यह किसी कथित प्रथागत, धार्मिक या संपत्ति-संबंधी अधिकार की मान्यता अथवा उसका प्रवर्तन नहीं है। प्रमुख शर्तें हैं: [1]

- दीप केवल देवस्थानम से अधिकृत टीम जलाएगी। मदुरै के जिला कलेक्टर टीम की संख्या और गठन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै के पुलिस आयुक्त के परामर्श से तय करेंगे।
- कलेक्टर समन्वय के नोडल अधिकारी होंगे। पुलिस आयुक्त सुरक्षा और प्रवेश के नियमन की व्यवस्था करेंगे। आवश्यकता होने और राज्य द्वारा मांग किए जाने पर केंद्र का सक्षम प्राधिकारी स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की व्यावहारिक संभावना जाँचेगा और व्यवस्था सुगम करेगा। यह प्रावधान इसी सीमित समारोह की सुरक्षा के लिए है।
- आम जनता टीम के साथ नहीं जा सकेगी। स्थल पर जुलूस, जनसमूह, प्रदर्शन, नारेबाजी या दीप-प्रज्वलन से असंबंधित गतिविधि की अनुमति नहीं है। प्रवेश अधिकृत टीम और निगरानी व सुरक्षा के लिए आवश्यक अधिकारियों तक सीमित रहेगा।
- प्रशासन समय, मार्ग और अवधि तय करते समय जन-सुरक्षा, अग्नि-रोकथाम, पुरातात्विक संरक्षण और शांति का ध्यान रखेगा। टीम समारोह पूरा होते ही लौटेगी और कोई अस्थायी वस्तु या प्रतिष्ठापन पीछे नहीं छोड़ेगी।
- ASI संरक्षण की शर्तें तय करेगा। किसी स्मारक, धार्मिक संरचना या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना तथा खुदाई, निर्माण, संरचनात्मक बदलाव या स्थायी प्रतिष्ठापन करना मना है।
- प्रथागत स्थानों पर मौजूदा अनुष्ठान अबाधित चलेंगे। दरगाह और अन्य संस्थाओं की वैध धार्मिक गतिविधियों, प्रवेश और उपयोग में हस्तक्षेप नहीं होगा। पहाड़ी के किसी भाग पर प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं बनेगा।

स्वामित्व, कब्जे, प्रथा, धार्मिक अधिकार, मंदिर प्रशासन और स्थल तक पहुँच के प्रश्न आगे निर्णय के लिए खुले हैं। इस समारोह को स्थापित प्रथा का प्रमाण या आगामी वर्षों में अनुमति का स्वतंत्र आधार नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 25-26 और आवश्यक धार्मिक प्रथा के सवाल विचारणीय मुद्दे हैं, इस अंतरिम आदेश से स्थापित अधिकार नहीं। कलेक्टर को पर्व के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी है। मामलों को जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश है; इसका अर्थ उस समय अंतिम निर्णय की गारंटी नहीं है। [1]

22 नवंबर: पुनर्विचार याचिका की खबर

LiveLaw और The Hindu ने 22 नवंबर 2026 को खबर दी कि तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ कार्य (HR&CE) विभाग ने अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार माँगा है। याचिका दाखिल होने की यह जानकारी इन रिपोर्टों पर आधारित है; इस लेख के लिए आधिकारिक पुनर्विचार याचिका स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हुई है। याचिका दाखिल होने की खबर को 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने या उसे पलटने वाला न्यायालय का निर्णय न समझें। सीमित अनुमति और उसके विरुद्ध चुनौती अलग बातें हैं। [5][6]

परीक्षा की दृष्टि से

प्रिलिम्स में: कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का पर्व है; तिरुप्परनकुंद्रम मदुरै (तमिलनाडु) में है; सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश (interim order) और स्टे (रोक) की अवधारणा याद रखें। मेंस में: धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लोक व्यवस्था, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं, और अनुच्छेद 25-26 के तहत 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' (essential religious practice) की परीक्षा पर लिखें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: कार्तिगई दीपम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला दीप-पर्व है।

कथन 2: तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी केरल में स्थित है।

कथन 3: सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर के लिए सीमित व्यवस्था के रूप में 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 | (b) केवल 2 और 3 | (c) केवल 1 और 2 | (d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: कार्तिगई दीपम तमिल माह कार्तिगई में मनाया जाने वाला तमिलनाडु का प्रमुख दीप-पर्व है।

कथन 2 गलत है: तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु के मदुरै के पास है, केरल में नहीं।

कथन 3 सही है: 20 नवंबर 2026 के हस्ताक्षरित आदेश के पैरा 13 में 24 नवंबर 2026 को दीपथून पर इसी अवसर तक सीमित समारोह की अनुमति है। रोक हाईकोर्ट के पैरा 1-141 के चुनौती वाले निष्कर्षों से संबंधित है; यह विवाद का अंतिम निपटारा नहीं है।

स्रोत

1. Supreme Court: signed order, 20 November 2026
2. Madras High Court: 6 January 2026 judgment, court-text mirror
3. Madras High Court: 4 December 2025 order, court-text mirror
4. Tamil Nadu Tourism: Karthigai Deepam, festival background only
5. LiveLaw: review petition reported, 22 November 2026
6. The Hindu: review petition reported, 22 November 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्तिगई दीपम क्या है?

तमिलनाडु का प्रमुख दीप-पर्व, जो तमिल माह कार्तिगई में मनाया जाता है; मंदिरों और घरों में दीप जलाए जाते हैं।

तिरुप्परनकुंद्रम विवाद क्या है?

मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून (पत्थर का दीप-स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर मंदिर प्रशासन और याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

20 नवंबर 2026 के हस्ताक्षरित आदेश ने हाईकोर्ट निर्णय के पैरा 1-141 के चुनौती वाले निष्कर्षों पर अगले आदेश तक, अपने निर्देशों के अधीन, रोक लगाई और 24 नवंबर 2026 को इसी अवसर के लिए सीमित दीप-प्रज्वलन की अनुमति दी। प्रथा, स्वामित्व या दीप जलाने के स्थायी अधिकार का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

इस लेख को डाउनलोड करें:

PCSMANTRA.COM